

1. भंवरलाल उम्र बालिग पुत्र श्री बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

—————प्रार्थी

ब न म

01. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान तहसीलदार, बिजयनगर कार्यालय तहसीलदार तहसील परिसर बिजयनगर, जिला अजमेर।

—————अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक: 25.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा रामगढ पटवार क्षेत्र रामगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2069-2072 के खसरा संख्या 4710/1502 रकबा 0.2427 है0 बरानी 2 भूमि प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी नही होने से अपनी आराजीयात की तरक्की नही कर पा रहे है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में फसल की जानवरों से सुरक्षा हेतु प्रार्थी अपनी सीमा में फैंसिंग व दीवार बनाना चाहते है, लेकिन तहसीलदार महोदय बिजयनगर द्वारा पत्थरगढी आदेश के अभाव में कार्य रूकवा दिया गया । जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमि पर तहसीलदार महोदय बिजयनगर द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात की मौके पर पत्थरगढी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा रामगढ पटवार क्षेत्र रामगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2069-2072 के खसरा संख्या 4710/1502 रकबा 0.2427 है0 बरानी 2 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप-चौप पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एवं विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एवं संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा रामगढ पटवार क्षेत्र रामगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2069-2072 के खसरा संख्या 4710/1502 रकबा 0.2427 है0 बरानी 2 भूमि का मौके पर जरिये माप एव सीमाकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)

आर0ए0एस0

(मोहनलाल खटनावलिया)

उपखण्ड अधिकारी